

**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक 23.04.2019 जनपद आगरा।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद आगरा, श्री अमित पाठक, के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत दिनांक 23.04.2019 को 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया जिनका विवरण निम्नवत् है:

नाम थाना	संख्या अभि०	नाम पता अभियुक्तगणः—	विवरणः—
थाना एत्माद्दौला	01	अभियोग में पंजीकृत एक अभियुक्त मु०अ०सं० 271/2019 धारा 376/511/452/323/504/506 भादवि व मु०अ०सं० 272/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 1—गोपाल पुत्र रामदास नि० शंभू नगर गुलाब नगर थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा को गिरफ्तार किया गया।	•
थाना न्यू आगरा	07	अभियोग में पंजीकृत सात अभियुक्त मु०अ०सं० 296/2019 व 289/2019 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट में 1—विनोद जाट पुत्र राजवीर नि० महामुनि मुरसान जनपद हाथरस, मु०अ०सं० 296/2019 व 290/2019 धारा उपरोक्त में 2—विष्णु पुत्र बच्चू सिंह नि० नेहरू नगर जज कम्पाउण्ड थाना हरीपर्वत जनपद आगरा, मु०अ०सं० 296/2019 व 291/2019 धारा उपरोक्त में 3—उमा पुत्र देशराज नि० कचौरा थाना अछनेरा जनपद आगरा, मु०अ०सं० 296/2019 व 292/2019 धारा उपरोक्त में 4—राजू उर्फ राजकुमार पुत्र बच्चू सिंह नि० बहमन थाना कागारौल जनपद आगरा, मु०अ०सं० 296/2019 व 293/2019 धारा उपरोक्त में 5—संतोष पुत्र रामबिहारी नि० महामुनि मुरसान जनपद हाथरस, मु०अ०सं० 296/2019 व 294/2019 धारा उपरोक्त में 6—महेश पुत्र शिवराम नि० बमनई दरगमा मुरसान जनपद हाथरस व मु०अ०सं० 296/2019 व 295/2019 धारा 307 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट में 7—हर्ष गौतम पुत्र रामवीर नि० कचौरा थाना अछनेरा जनपद आगरा को गिरफ्तार किया गया।	•
थाना जगदीशपुरा	02	अभियोग में पंजीकृत दो अभियुक्त मु०अ०सं० 286/2019 धारा 392/411/414 भादवि में 1—घनश्याम पुत्र बाबूलाल लोधी नि० नगला दहतोरा थाना सिकन्दरा जनपद आगरा व मु०अ०सं० 09/2019 धारा 379/411 भादवि में 2—लोकेश बंसल पुत्र विष्णु कुमार नि० फ्लैट न० 401 राधा रमन पैराडिज घटिया आजम खां थाना हरीपर्वत जनपद आगरा को गिरफ्तार किया गया।	•
थाना बाह	01	अभियोग में पंजीकृत एक अभियुक्त मु०अ०सं० 158/2019 धारा 279/338 भादवि में 1—अजीत पुत्र रामबाबू नि० काली नगर थाना फतेहाबाद जनपद आगरा को गिरफ्तार किया गया।	•

वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—निल  
वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—निल  
अभियोग में —11  
कुल गिरफ्तार—11

मीडिया सेल आगरा पुलिस।